

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

मनोहरसिंह पिता श्री नाहरसिंह राठौड, नि0 माण्डावाडा, पोस्ट पडासली, राजसमन्द —अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, राजसमन्द

— प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 04/2022

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक 08.02.2022</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांक: आर. टी.आई./22/99-100 दिनांक 28.01.2022 से प्राप्त रिपोर्टनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना भू0अ0 शाखा कार्यालय हाजा से प्राप्त होकर प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में प्रार्थी को समयावधि में आवेदन पत्रानुसार दूरभाष द्वारा सूचित किये जाने से प्रार्थी द्वारा उक्तानुसार वांछित चाही तैयार सूचना कार्यालय से दिनांक 22.12.2021 को नियमानुसार तैयार आन लाईन नामान्तरण प्रति पर अंकित 220/- रुपये शुल्क राजकोष में जमा करा कर प्राप्त कर ली गई। प्रस्तुत प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बिन्दु सं0 2 में अंकित खाता संख्या 214, 215, 55 की सूचना के संबंध में प्राप्त पटवार हल्का पडासली रिपोर्ट प्रार्थी श्री मनोहर सिंह पिता नाहर सिंह राठौड निवासी माण्डावाडा में प्रार्थी के पिता नाहरसिंह पिता देवीसिंह का विरासत का नामन्तरण पूर्व में ना.सं. 613 से दिनांक 15.11.2021 को निर्णित हो चुका है तथा ग्राम माण्डावाडा के खाता सं. 55 एवं 214 में आ चा का खाता होकर हिस्सा दर्ज नहीं हो पाया है। अतः खाता संख्या 215 में डबल नाम का शुद्धि पत्र प्रक्रियाधीन है। शुद्धि पत्र होने के पश्चात खाता सं. 215 में नामान्तरण दर्ज किया जायेगा तथा खाता सं. 55 एवं 214 में तो हिस्से दर्ज नहीं होने से ऑनलाईन नामान्तरण दर्ज नहीं हो पा रहा है जो तकनीकी समस्या है।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, राजसमन्द की रिपोर्टनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना प्रार्थी के भाई द्वारा दिनांक 22.12.2021 को कार्यालय से प्राप्त किये जाने तथा बिन्दु संख्या 02 के संदर्भ में तहसीलदार राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि प्रक्रियाधीन नामान्तरण में तकनीकी समस्या समाप्त होने पर अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।</p> <p>उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, राजसमन्द को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



लोक सूचना अपीलार्थी अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द